BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 09 नवम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर 01 आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त हरेन्द्र पुत्र सुखवीर निवासी धमैड़ा कीरत थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2017 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी त्रिलोक सिंह की हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 12.11.2017 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 1512/2017 धारा- 302 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 14.12.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 09.11.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे-06 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त हरेन्द्र को आजीवन सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विमल कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर